

श्री. वी. पी. शर्मा

संख्या

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
२/८/२२	<p>पत्रावली साफ पेशा दुरी वादी एवं वकील वादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवारी गई, कोई उपस्थित नहीं आया। बससे यह पुष्ट होता है की वादी एवं वकील वादी वाद पत्र को अंगुसर करने हेतु कातरई रज्जुका नहीं है। लिखण वादी का वाद सक्षम पेशी सक्षम दाजरी में खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से काम होने पर तारिखल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक २/८/२०२२ को खुले न्यायालय एवं स्टे रजलाए (निवाया गया)।</p>

उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)